

न्यायालय:-राजेन्द्र कुमार अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-354 / 11
संस्थापित दिनांक-17.08.2011
Filing No.235103002462011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोगी

अशोक पुत्र सोनसिंह यादव, उम्र-42 साल,
निवासी-ग्राम पगरा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियुक्त

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 05.05.2018 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1बी) (ए) आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 22.04.2011 को समय 15:00 बजे या उसके लगभग ग्राम पहाडपुर व पगरा के बीच ओर नदी के पास थाना चंदेरी पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का कट्टा 12 बोर(अद्दी) दो जिंदा कारतूस 12 बोर अपने आधिपत्य में रख के और ऐसा करके धारा 3 आयुध अधिनियम 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का अभियोग है।

02- संक्षिप्त अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि सूचनाकर्ता प्रेमनारायण दिनांक 22.04.2011 को थाना चंदेरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को टी.आई. चंदेरी द्वारा अवैध हथियार के साथ दो व्यक्ति घूमने की सूचना की तस्दीक करने निर्देशित करने पर हमराह पुलिस बल एसआई डी.एस.राठौर, आरक्षक सुरेन्द्र, हुकम सिंह, रमेश एवं आरक्षक विनोद के साथ रवाना होकर मय पुलिस वाहन से ग्राम पहाडपुर एवं पगरा के बीच ओर नदी के पास पहुँचे, एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा जिस पर संदेह होने पर उसे रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक पुत्र सोनसिंह यादव निवासी पगरा का होना बताया। पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछने पर कोई संतोष जनक जबाब नहीं दिया जिस पर उसकी तलाशी ली गई तो दाहिनी तरफ पेंट के नीचे एक देशी 12 बोर का कट्टा (अद्दी) तथा पेंट की दाहिनी जेब में दो 12 बोर के जिन्दा कारतूस छिपाये मिला। अभियुक्त से उक्त कट्टा व कारतूस की अनुज्ञप्ति चाहा गया तो अनुज्ञप्ति न होना बताया। अभियुक्त का कृत्य धारा 25-27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से पंचनामा आरक्षक सुरेन्द्र व दीनानाथ के समक्ष विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

03— अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वयं को निर्दोष होना पुलिस ने अन्य व्यक्ति को पकड़कर रखा था और पुलिस ने घर से अभियुक्त को बुलाया था मांग पूरी न करने पर रंजिशन झूठा फसाया जाना व्यक्त किया तथा बचाव देना व्यक्त किया तथा अन्य प्रकरण की सुरेन्द्र सिंह चौहान के कथनों की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की किंतु कोई मौखिक साक्ष्य नहीं दिया।

04— न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न है कि :-

1.	क्या अभियुक्त द्वारा घटना के समय ग्राम पहाड़पुर व पगरा के बीच ओर नदी के पास थाना चंदेरी पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का कट्टा 12 बोर(अद्दी) दो जिंदा कारतूस 12 बोर अपने आधिपत्य में रखे पाया गया ?
----	--

साक्ष्य मूल्यांकन सह निष्कर्ष

05— साक्षी सुरेन्द्र सिंह चौहान (अ.सा.-2), डी.एस.राठौर (अ.सा.-4), प्रेमनारायण (अ.सा.-5) का कहना है कि उन्हें दिनांक 22.04.2011 को एक व्यक्ति द्वारा ग्राम पगरा में कट्टा लेकर घूमने की सूचना प्राप्त हुयी थी, जिसकी तस्दीक के लिये वह लोग वहां पर पहुंचे थे। तब घटना स्थल पगरा व पहाड़पुर के बीच स्थित नदी पर एक व्यक्ति उन्हें देखकर भागने लगा, तब उसे पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अशोक यादव बताया, जब उसकी तलाशी ली गयी तो उसके पास से एक बारह बोर का देशी कट्टा व दो जिंदा कारतूस मिले। अभियुक्त से कट्टा व कारतूस रखने के संबंध में अनुज्ञप्ति के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने अनुज्ञप्ति न होना व्यक्त किया। साक्षियों ने आगे व्यक्त किया कि अभियुक्त से बारह बोर का देशी कट्टा व दो साबूत कारतूस जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किये। अभियुक्त को गिरफ्तार किया और वापस थाने लेकर आये।

06— साक्षी प्रेमनारायण सिंह (अ.सा.-5) ने अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जप्ती पंचनामा प्रपी-2 तैयार कर जप्त किया, जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचानकर प्रमाणित किया। साक्षी ने अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-1 बनाकर गिरफ्तार करना भी प्रमाणित किया तथा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-5 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर पहचानकर प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने न्यायालीन कथन में जप्तसुदा कट्टा आर्टिकल ए-1 के रूप में व कारतूस ए-2 व ए-3 के रूप में पहचान की है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-5 में घटना के समय में ऑवर राइटिंग की गयी है। साक्षी ने आगे स्पष्ट किया कि कलम के सही कार्य न करने से उसने ऑवर राइटिंग की। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-5 पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, किंतु

साक्षी के स्वीकारोक्ति से व प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी-5 पर प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से प्रथम सूचना रिपोर्ट को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी स्वयं उक्त साक्षी है।

07— साक्षी प्रेमसिंह यादव (अ.सा.-3) ने अपनी साक्ष्य में व्यक्त किया है कि उसने थाना चंदेरी के अपराध क्रं. 172/11 में जप्तसुदा कटटा बारह बोर की जांच की थी, जिसमें कटटे की लंबाई 19 इंच बैरल की लंबाई 14 इंच होना पाया था। साक्षी ने कटटे का ट्रिगर एवं हेमर एवं फाईरिंग पिन सही से कार्य करना पाया। साक्षी ने कटटे का जांच रिपोर्ट प्रपी-4 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षी को यह सुझाव दिया गया कि उक्त कटटे पर काला टेप लगा हुआ था जिसे साक्षी ने याद न होना बताया है। प्रकरण में जप्ती पत्रक प्रपी-2 में कटटे की मूठ पर काला प्लास्टिक का टेप लगा होना उल्लेखित है। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से टेप लगे कटटे की पहचान स्वीकार की है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में जांच में साबूत कारतूस न होना स्वीकार किया है।

08— साक्षी प्रेमनारायण (अ.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-9 में बचाव पक्ष द्वारा जप्तसुदा कटटे की लंबाई 55 से.मी. तथा नाल का व्यास 9 से.मी. होना स्वीकार किया है। किंतु साक्षी ने जप्तसुदा कारतूस पर कंपनी का नाम और रंग की जानकारी न होना स्वीकार किया है। किंतु साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जप्तसुदा कारतूस घिसी हुयी थी जिससे कंपनी का नाम वह पढ़ नहीं पाया था, जिस कारण जप्ती पत्रक प्रपी-2 में उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन की घटना के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न नहीं कर सका है। इससे उक्त साक्षी के कथनों पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।

09— प्रकरण के विवेचक डी.एस.राठौर (अ.सा.-4) ने विवेचना के दौरान साक्षी सुरेन्द्र, हुकुम व दीनानाथ के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना तथा जप्तसुदा कटटे व कारतूस की जांच कराकर जांच रिपोर्ट व अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना प्रकट किया है। किंतु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में यह स्वीकार किया है कि उक्त साक्षियों के कथन उसकी हस्तलिपि में लेख नहीं है, केवल कथनों पर उसके हस्ताक्षर है। जिसे बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन की गंभीर त्रुटि के रूप में लिखित तर्क किया है। उक्त साक्षियों के कथनों को साथ में गये पुलिस बल के सदस्य प्रेमनारायण (अ.सा.-5) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-8 में उसे द्वारा लेख करना स्वीकार किया है। साक्षी डी.एस.राठौर (अ.सा.-4) के साथ प्रेमनारायण भी ६ टना स्थल पर गया था और उसके द्वारा साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने से जबकि कथनों पर विवेचक डी.एस.राठौर के हस्ताक्षर है, अभियोजन के अनुसार बताये गयी ६ टना को संदेहास्पद नहीं बनाती, क्योंकि विवेचक की उपस्थिति में कथन उक्त साक्षी द्वारा लेखबद्ध किये गये हैं, जिससे बचाव पक्ष का उक्त तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है।

10— साक्षी हुकुम सिंह (अ.सा.—6) ने भी अभियुक्त से एक देशी कटटा पुलिस द्वारा जप्त करना अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है। बचाव पक्ष द्वारा उसके प्रतिपरीक्षण में ही यह सुझाव दिया गया कि अभियुक्त को पुलिस ने नदी के पास पकड़ा था। इस प्रकार स्वयं बचाव पक्ष द्वारा सुझाव देकर घटना स्थल की पुष्टि की है। प्रकरण के फरियादी प्रेमनारायण (अ.सा.—5) के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 22.04.11 समय 15:00 बजे होना अपनी साक्ष्य में प्रमाणित किया है, जिसकी पुष्टि भी रवानगी समय प्रपी—6 में उक्त साक्षी का सहायक उप निरीक्षक दशरथ सिंह, आरक्षक हुकुम सिंह व आरक्षक रमेश के साथ समय 13:30 बजे थाने से रवाना होना लेख है। थाने से घटना स्थल की दूरी 19 किलो मीटर अभियोजन की ओर से प्रकट की है जिससे घटना स्थल पर थाने से लगभग डेढ़ घंटे में पहुंचने का लगा समय भी उचित दर्शित होता है। कोई भी साक्षी घटना स्थल से आने जाने में लगा निश्चित समय व दूरी नहीं बता सकता बल्कि संभव है। अतः उक्त संबंध में बचाव पक्ष की ओर से किया गया लिखित तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

11— प्रकरण के दूसरे साक्षी अमर लाल कौशिक (अ.सा.—7) ने दिनांक 31.05.2011 को प्रकरण के अपराध क्र. 172/11 में अभियुक्त के विरुद्ध तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ए.के. सिंह द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रपी—8 देना प्रकट किया है, जिसका आदेश उक्त साक्षी ने भी तैयार किया था। साक्षी ने अभियोजन स्वीकृतिकर्ता जिला मजिस्ट्रेट के बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर पहचानकर प्रमाणित किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रपी—8 पर जिला मजिस्ट्रेट के नाम के नीचे सील अंकित नहीं है लेकिन अभियोजन स्वीकृति के आदेश पर जिला दण्डाधिकारी की अधिकृत गोल सील लगी हुयी है तथा अनुमतिकर्ता के हस्ताक्षर, नाम व पदनाम के साथ उल्लेखित है, जिससे केवल सील लगी न होने से अनुमति आदेश प्रपी—8 की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

12— बचाव पक्ष की ओर से लिखित तर्क किया गया है कि प्रपी—8 की रिपोर्ट में केस डायरी दिनांक 16.05.11 को कलेक्ट्रेट को प्राप्त होने का उल्लेख है। लेकिन रिपोर्ट दिनांक 21.05.2011 को तैयार की गयी है। इस 15 दिवस की अवधि में आयुध किसके पास रहा तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। किंतु प्रकरण में जप्त आयुध जांच के पश्चात अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजा जाना जांच रिपोर्ट प्रपी—4 से दर्शित है, जिससे उसके पश्चात आयुध अनुमति हेतु भेजे जाने अथवा न भेजे जाने से अभियोजन के प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

13— बचाव पक्ष की ओर से यह लिखित तर्क किया गया है कि अभियोजन साक्षी सुरेन्द्र सिंह चौहान (अ.सा.—2) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—2 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय में कथन दिये हैं। जिससे उक्त साक्षी विश्वसनीय प्रकृति का नहीं रहा जाता, किंतु बचाव पक्ष का उक्त तर्क ग्राह्य योग्य नहीं है, क्योंकि उक्त साक्षी अन्य व्यक्तियों के साथ घटना स्थल पर जाना प्रकरण के अन्य साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिसका

उल्लेख भी रोजनामचा सान्हा प्रपी-6 में है तथा प्रकरण के अन्य साक्षियों द्वारा साक्षी के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया है। जिससे उक्त साक्षी के विश्वसनीयता पर केवल अभिलेख देखने पर से संदेह नहीं किया जा सकता। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

14— प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी दीनानाथ (अ.सा.-1) ने अभियोजन की घटना का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है, किंतु साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्रपी-1, जप्ती पंचनामा प्रपी-2 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अशतः अभियोजन का समर्थन किया है। उक्त साक्षी के यदि कथनों का तर्क के लिये मान भी लिया जावे कि उसने अभियोजन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है, तब भी प्रकरण के शेष साक्षियों द्वारा अभियोजन का मामला अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है, जिसका बचाव पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया जा सकता।

15— बचाव पक्ष की ओर से यह भी लिखित तर्क किया है कि जप्ती पंचनामा प्रपी-2 में आयुध की लंबाई 55 से.मी. अर्थात् 22 इंच लेख है, जबकि जांच रिपोर्ट प्रपी-8 में आयुध की लंबाई 19 इंच होना लेख किया है, इस प्रकार उक्त दोनों दस्तावेजों में आयुध की लंबाई के संबंध में विरोधाभास है। जप्ती पत्रक प्रपी-2 में नाल की लंबाई 35 से.मी. तथा गोलाई 9 से.मी. उल्लेखित है एवं आयुध जांच प्रतिवेदन प्रपी-4 में भी बैरल की लंबाई 14 इंच अर्थात् 35 से.मी. ही लेख है एवं जप्तीकर्ता प्रेमनारायण (अ.सा.-5) ने भी न्यायालय में आयुध की पहचान आर्टीकल ए-1 की रूप में की है, जिससे आयुध की कुल लंबाई का सही वर्णन जप्ती पत्रक प्रपी-2 में न होने पर भी यह नहीं पाया जा सकता कि अभियुक्त से कोई आयुध जप्त नहीं किया गया। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क प्रकरण में ग्राह्य योग्य नहीं है।

16— बचाव पक्ष की ओर से दूसरे आपराधिक प्रकरण क्रं. 601/16 में साक्षी सुरेन्द्र सिंह चौहान के न्यायालीन कथन की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर यह तर्क किया है कि उक्त साक्षी पुलिस का स्थायी साक्षी है। किंतु अन्य प्रकरण की कोई भी कथन इस प्रकरण में ग्राह्य नहीं है। बचाव पक्ष द्वारा उक्त कथन को प्रकरण में प्रदर्शित भी नहीं कराया है, जिससे बचाव पक्ष का उक्त तर्क व प्रस्तुत बचाव साक्ष्य से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी लिखित तर्क किया है कि साक्षी प्रेमनारायण ने जप्तसुदा कटटे पर सील लगायी थी, ऐसा उसने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-3 में प्रकट किया है, किंतु मुख्य परीक्षण में कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में किया गया कथन भी जिस पर प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है, मुख्य कथन का समर्थन भी करता है।

17— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया है कि अभियोजन ने पुलिस ने घटना स्थल पर उपस्थित अन्य व्यक्तियों को प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी के रूप में साक्षी नहीं बनाया है, जिससे अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **प्रदीप नारायण मादगांवकर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 1995 (एससीसी 255)** प्रस्तुत किया है। किंतु न्याय दृष्टांत **श्रवण विरुद्ध म.प्र. राज्य**

2006 (2) ए.एन.जे. (एम.पी.) 235, दशरथ विरुद्ध म.प्र. राज्य 2008 एम.पी. 360 माननीय न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि जप्ती पंचनामा कोई तात्विक साक्ष्य नहीं होता है। बल्कि उसके तथ्यों को संबंधित साक्षियों से प्रमाणित करना आवश्यक है, जो प्रकरण में साक्षी प्रेमनारायण, सुरेन्द्र सिंह चौहान एवं डी.एस.राठौर ने जप्ती पत्रक को प्रमाणित किया है, जिससे बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18— बचाव पक्ष की ओर से लिखित तर्क में न्याय दृष्टांत **महेन्द्र प्रताप सिंह विरुद्ध उ.प्र. राज्य (2009) 11 एस.सी.सी. 334, 2009 लीगल ईगल एस.सी. 294, मेहताब सिंह विरुद्ध उ.प्र.राज्य (2009) 13 एस.सी. 2298** में माननीय न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन साक्ष्य में विरोधाभाष होने से अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए, किंतु प्रकरण के सभी साक्षियों ने अभियोजन घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। मात्र एक साक्षी दीनानाथ (अ.सा.-1) ने अभियोजन का पूर्णतः समर्थन नहीं किया है, जिससे साक्षियों के कथनों का विरोधाभाष नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त न्याय दृष्टांत व प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से प्रकरण में लागू नहीं होता है।

19— बचाव पक्ष की ओर से न्याय दृष्टांत **साहब सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 2417, समरथ मधुरिया विरुद्ध म.प्र.राज्य 2005 (2) एम.पी.एल.जे. 111, चिरकू उर्फ लखनलाल विरुद्ध म.प्र.राज्य 2010 (1) एम.पी. डब्ल्यू.एन. 38, 2009, न्याय दृष्टांत खिल्लन सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य 2010 (4) एम.पी.एस.टी. 430, 2009, मोहन सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य 1995 (2) एस.सी. 192, मेघासिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य 1995 एआईआर एस. सी. 2339, बल्देव सिंह विरुद्ध म.प्र.राज्य 2003 (1) जेएलजे 300, दिलीप के. बसु विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य 1997 लीगल ईगल एस.सी. 1044** न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं, जिसमें अभियोजन के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि न भेजे जाने, जप्ती प्रक्रिया में संदेह होने, जप्ती पंचनामा में मोहर अंकित न होने व अनुसंधान अधिकारी के कथनों में अंतर होने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाने से अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिये। किंतु प्रकरण के विवेचक प्रेमनारायण, सुरेन्द्र सिंह चौहान, डी.एस. राठौर व साक्षी हुकुम सिंह ने अभियुक्त से कटटा जप्त करना घटना स्थल से अपनी साक्ष्य में प्रकट किया है, जिनका बचाव पक्ष द्वारा खण्डन नहीं किया गया है।

20— न्याय दृष्टांत **नाथू सिंह विरुद्ध म.प्र. राज्य एआईआर 1973 एस.सी. 2783, कालेबाबू विरुद्ध म.प्र.राज्य 2008 (4) एमपी.एसटी. 397** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि पंच साक्षियों के अभियोजन का समर्थन न करने पर पुलिस साक्षियों की साक्ष्य विश्वसनीय होती है और पुलिस अधिकारी की साक्ष्य केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं हो जाती कि वह पुलिस अधिकारी है। प्रकरण में भी लगभग सभी साक्षी पुलिस अधिकारी हैं, जिनके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा कोई विरोधाभाष व संदेह की स्थिति निर्मित नहीं की जा सकी है, जिससे उक्त

न्याय दृष्टांतों के आलोक में सभी पुलिस साक्षियों के कथन विश्वसनीय प्रकृति के होने से प्रकरण में ग्राह्य है।

21— प्रकरण में दिनांक 22.04.2011 को अभियुक्त अशोक यादव से देशी कटटा बारह बोर का जप्ती पत्रक प्रपी-2 के द्वारा जप्त किया जाना दर्शित है तथा दिनांक 29.04.2011 को जांच हेतु प्रदर्श पी-4 के पत्र से भेजा जाना दर्शित है। न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार विरुद्ध पंजाब राज्य 2014 (5) एस0सी0सी0 230** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि 'If unless the detacto complaint who also happens to be the investigation officer, is personally biased and prejudiced and personally interested to get conviction to the accused the contention cannot be sustained'.

22— बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए उक्त न्याय दृष्टांत के तथ्य व प्रकरण के तथ्य भिन्न भिन्न होने से उक्त न्याय दृष्टांतों का लाभ अभियुक्त को प्राप्त नहीं होता। जबकि विवेचक की विश्वसनीयता वाले उक्त न्याय दृष्टांत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किये गए हैं, जो प्रकरण में प्रभावी हैं। बचाव पक्ष द्वारा उक्त साक्षियों के द्वारा की गई कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध किसी रंजिशवश या प्रकरण में फंसाने के आशय से की गई हो ऐसा प्रकरण में व साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में प्रमाणित नहीं किया गया है। जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्याय दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रकरण में लागू होते हैं व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः उपरोक्त विवेचना से अभियुक्त अशोक यादव द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के देशी कटटा बारह बोर व दो कारतूस रखना प्रमाणित पाया जाता है। अतः अभियुक्त अशोक यादव को धारा 25(1बी) (ए) आयुध अधिनियम के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

23— अभियुक्त अशोक यादव द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु थोड़ी देर के लिये स्थगित किया जाता है।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पुनश्च :-

24— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड से दंडित किया जावे। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त अशोक यादव को निम्नानुसार दंडित किया जाता है:-

अभियुक्त का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम पर कारावासीय दण्ड
अशोक यादव पुत्र सोनसिंह यादव	धारा 25(1बी)(ए) आयुध अधिनियम	एक वर्ष का सश्रम कारावास	2000 / – (दो हजार रुपये मात्र) रुपए अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में दो माह का सारधारण कारावास

- 25—** अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 26—** प्रकरण में जप्तशुदा देशी कटटा बारह बोर व दो कारतूस अपील अवधि पश्चात् राजसात की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मान्य होगा।
- 27—** अभियुक्त का धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता का अभियुक्त अभिरक्षा अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 28—** अभियुक्त अशोक यादव का सजा वारंट बनाया जावे।
- 29—** अभियुक्त को निर्णय की निःशुल्क प्रति प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

राजेन्द्र कुमार अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)